चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर–2

प्रबन्ध मण्डल की 114वीं बैठक का कार्यवृत्त

स्थान : कुलपति समिति कक्ष,विश्वविद्यालय प्रॉगण, कानपुर — दिनांक : 6 जून, 2001

समय : पूर्वान्ह 11.00 बजे

उपस्थितिः

1.	ड0 एस0 बी0 सिंह कुलपति,	अध्यक्ष
2.	डा0 नसीम जैदी, सचिव, कृषि	सदस्य
3.	डा0 एम0 सी0 यादव, विशेष सचिव वित्त,	सदस्य
4.	श्री बाल चन्द्र मिश्र, विधायक	सदस्य
5.	श्री अशोक दुबे, सदस्य विधान परिषद,	सदस्य
6.	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, विधायक	सदस्य
7.	डा0 हरि कृष्ण सक्सेना,	सदस्य
8.	श्री अमर सिंह,	सदस्य
9.	श्रीमती मुन्नी देवी राजपूत	सदस्य
10	श्री पुरुषोत्तम लाल तोशनीवाल	सदस्य
11.	श्री आर0 के0 दीक्षित, अर्थ नियंत्रक	सचिव

अनुपस्थितिः

1.	सचिव, उच्च शिक्षा	सदस्य
2.	निदेशक कृषि	सदस्य
3.	निदेशक पशुपालन	सदस्य
4.	डा0 आर0 सी0 माहेश्वरी, सहायक महानिदेशक, (सी0एस0सी0) आई0सी0ए0आर0, नई दिल्ली	सदस्य

मद संख्या 1: चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 29.12.2000 को सम्पन्न हुयी 113वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन ।

प्रबन्ध मण्डल ने 113वीं बैठक जो दिनांक 29–12–2000 को हुई, के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया ।

मद संख्या 2: चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रबन्ध मण्डल की 113वीं बैठक में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही ।

प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 29.12.2000 को सम्पन्न हुयी 113वीं बैठक में लिये गये निर्णयों

पर विश्वविद्यालय स्तर पर की गयी कार्यवाही को संज्ञान में लिया और निम्न निर्णय लिये:

1. डा0 मोती सिंह, प्रोफेसर, उद्यान विभाग का जो प्रकरण शासन को संदर्भित है के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि यदि यह प्रकरण विधान सभा प्रश्न अथवा अन्य किसी समिति जैसे; आश्वासन समिति आदि के समक्ष विचाराधीन नहीं है तो विवरण सहित इसे प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाय ।
2. शिक्षकों / वैज्ञानिकों आदि की सम्बद्धता के सम्बन्ध में निम्न निर्णय लिये गये :

   (क) जिस शिक्षक / वैज्ञानिक आदि का चयन जिस पद पर हुआ है वह वहीं पर कार्य करेगा । ऐसे शिक्षकों / वैज्ञानिकों की सम्बद्धता कहीं अन्यत्र नहीं की जायेगी ।

   (ख) शिक्षक / वैज्ञानिक आदि यदि अभी भी सम्बद्ध है तो उसकी सम्बद्धता तुरन्त समाप्त की जाय तथा मूल स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जाये ।

   (ग) शिक्षक /वैज्ञानिक/ अधिकारी / कर्मचारी आदि को विभिन्न के0वी0के0 / के0 जी0 के0 तथा शोध केन्द्रों पर अपनी नियुक्ति स्थान पर ही निवास करना होगा ।

   (घ) सभी विभागाध्यक्षों से यह प्रमाण–पत्र लिया जाये कि उनके यहॉ का कोई शिक्षक / वैज्ञानिक/ अधिकारी / कर्मचारी आदि कहीं सम्बद्ध नहीं है तथा उनका ही वेतन आहरित किया जा रहा है जो शिक्षक / अधिकारी / कर्मचारी अपने मूल पद पर कार्य कर रहे हैं ।

   (ङ) मुख्य कार्मिक अधिकारी सम्बद्धता समाप्त करने के सम्बद्ध में प्रगति रिपोर्ट 15 दिन में प्रस्तुत करेंगें ।
3. श्री अनुरुद्ध दुबे के प्रकरण में विधिक राय शीघ्र प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये ।
4. डा0 रामनाथ, प्राध्यापक, पादप रोग विज्ञान विभाग के प्रकरण में तेजी से कार्यवाही की जाये एवं आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

प्रबन्ध मण्डल ने अन्य प्रस्तावों पर कृत कार्यवाही पर अनुमोदन प्रदान किया ।

मद संख्या 3: उपार्जित अवकाश की स्वीकृति सीमा में संशोधन का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा उपार्जित अवकाश की स्वीकृति सीमा में विश्वविद्यालय अधिनियम के 1958 के अध्याय XXI के प्रस्तर–5(D) में निम्न संशोधन करने हेतु प्रस्ताव महामहिम कुलाधिपति महोदय को स्वीकृत हेतु भेजे जाने पर सहमति दी गई ।

1.	15 दिनों तक	निदेशक / अधिष्ठाता / विभागाध्यक्ष
2.	60 दिनों तक	कुलपति
3.	60 दिनों से ऊपर	प्रबन्ध मण्डल

पृष्ठ.. 3

मद संख्या 4 : डा0 राजेश कटौच, सहायक आचार्य, पैरासीटोलाजी, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा का दो वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित करते हुये 2 वर्ष बाद विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण न करने पर धारणाधिकार समाप्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा डा0 राजेश कटौच का सहायक आचार्य, पैरासीटोलाजी, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा के पद पर दिनांक 4.1.97 से दिनांक 3.1.99 तक धारणाधिकार स्वीकृत किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया तथा डा0 राजेश कटौच के दिनांक 4.1.99 को उक्त पद पर कार्य भार ग्रहण न करने के कारण उनके धारित पद सहायक आचार्य, पैरासीटोलाजी, से धारणाधिकार समाप्त करने का निर्णय लिया तथा तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए गये ।

मद संख्या 5 : डा0 के0 एन0 तिवारी, कृषि रसायनज्ञ का दिनांक 10.6.98 से 2 वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने के बाद विश्वविद्यालय में योगदान न करने पर धारणाधिकार समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा डा0 के0 एन0 तिवारी का उनके मूल पद कृषि रसायनज्ञ, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग पर धारणाधिकार समाप्त करने का निर्णय लिया तथा तद्नुसार अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए गये ।

मद संख्या 6 : डा0 एम0 शाबिर, प्रोफेसर, फार्मोकोलाजी पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा की सेवायें प्रबन्ध मण्डल की दिनांक 11.8.1999 में लिये गये निर्णयानुसार समाप्त कर दिये जाने के उपरान्त महामहिम कुलाधिपति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने महामहित कुलाधिपति के निर्णय के अनुसार डा0 एम0 साबिर से प्राप्त प्रत्यावेदन दिनांक 26.1.2001 पर विचार किया और निर्णय लिया कि प्रबन्ध मण्डल की 109वीं बैठक दिनांक 11.8.1999 में डा0 साबिर की सेवायें समाप्त करने का ही निर्णय लागू माना जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में स्वस्पष्ट आदेश के द्वारा डा0 साबिर को अवगत कराया जाये ।

मद संख्या 7 : परीक्षाओं के सम्पादन में परीक्षकों / परिक्षाफल पूर्ण करने वाले सहायकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की दरें संशोधित करने पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 28.2.2001 में प्रस्ताव संख्या 1333 पर लिये गये निर्णय को अनुमोदित करते हुये परीक्षाओं के सम्पादन में परीक्षकों / परीक्षाफल पूर्ण करने वाले सहायकों को निम्न दरों पर पारिश्रमिक भुगतान करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया:

क्रम संख्या	विवरण	अनुमोदित दरें
1.	पी0एच0डी0 शोध ग्रन्थ का मूल्यॉकन	350.00
	पी0एच0डी0 कम्प्रेहेन्सिव	300.00
	वायवा वोसी	300.00
2.	एम0एससी0 (कृषि)/ एम0वी0एससी0/एम0एससी0(होम सांइस)	
	शोध ग्रन्थ का मूल्यॉकन	250.00
	शोध ग्रन्थ की मौखिक परीक्षा	100.00 प्रति छात्र (कम से कम रु0200.00)
	प्रश्न–पत्र की रचना (प्रति सेट)	500.00
	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यॉकन (प्रति उत्तर पुस्तिका)	10.00 (कम से कम रु0 150.00)
	प्रायोगिक परीक्षा (प्रति परिक्षार्थी)	10.00 (कम से कम रु0 250.00)
3.	बी0एससी0 (एजी0 एण्ड ए0एच0)/ बी0वी0एससी0 एण्ड ए0एच0/बी0एससी0(होम सांइस)/ बी0 टेक0	
	प्रश्न–पत्र की रचना (प्रति सेट)	400.00
	उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यॉकन (प्रति उत्तर पुस्तिका)	6.00 (कम से कम रु0 100.00)
	प्रायोगिक परीक्षा (प्रति परिक्षार्थी)	6.00 (कम से कम रु0 250.00)

उपाधियों के लेखन दर एवं निरीक्षण दरों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

परास्नातक / स्नातक	**अनुमोदित दरें**
लेखन दर	3.50
निरीक्षण दर	3.00
<u>पी0एच0डी0</u>	
लेखन दर	4.50
निरीक्षण दर	3.00
टेबलेटर (कृषि संकाय, अभियॉत्रिकी एवं गृह विज्ञान)	4.00 कनवर्सन टेबुलेशन कराने हेतु रु0 2.00
कोलेटर	1.50 रिजल्ट टेबुलेशन चार्ट तैयार कराने हेतु रु0 2.00
टेबलेटर (पशु चिकित्सा संकाय)	2.50
कोलेटर	1.50
प्रति अंकतालिका तैयार करता तथा निरीक्षणकर्ता को देय पारिश्रमिक	2.00
<u>परास्नातक / स्नातक / पी0एच0डी0</u> <u>पदक / पारितोषिक / प्रमाण–पत्रों आदि का</u>	
लेखन दर	2.50
निरीक्षण दर	2.50

द संख्या 8 : प्राध्यापक, सह् प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक की अर्हतायें संशोधित करने पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर विचार कर निम्न निर्णय लिये गये :

1. कृषि संकाय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यतायें उ0 प्र0 शासन के कृषि विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 290/12-8-2000-400(43)/99ए दिनांक 07 फरवरी, 2000 में दी गयी शैक्षिक योग्यताओं को सम्बन्धित पद की शैक्षिक / अनुभव योग्यताएं माने जाने का निर्णय लिया गया।

2. सुनिश्चित किया जाय कि पशु चिकित्सा संकाय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यतायें वी0सी0आई द्वारा सम्बन्धित पद हेतु पूर्व में अनुमोदित शैक्षिक योग्यता के अनुरुप है।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के शिक्षकों की शैक्षिक योग्यतायें ए0 आई0 सी0 टी0 आई0 द्वारा सम्बन्धित पद हेतु पूर्व में अनुमोदित शैक्षिक योग्यता को सम्बन्धित पद की शैक्षिक योग्यता के अनुसार हैं ।

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि जो पद विज्ञापन संख्या 1/2001 द्वारा विज्ञापित किये जा चुके हैं तथा जिसमें कृषि संकाय के पदों की शैक्षिक / अनुभव योग्यता विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 28.2.2001 में प्रस्ताव संख्या 1340 के अनुसार विज्ञापित की गयी है उनमें उपरोक्तानुसार शैक्षिक योग्यता का शुद्धिकरण (Corrigendum) निर्गत किया जाये तथा शैक्षिक योग्यता के अनुसार आवेदन पत्र 15 दिन के अन्दर आमंत्रित किये जाये । जो आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं उन्हें उपरोक्त शैक्षिक / अनुभव योग्यता के आधार पर Screen किया जाये ।

चयन उपरोक्त शैक्षिक / अनुभव योग्यता के अनुसार किया जाये ।

मद संख्या 9 : कृषि अभियंत्रण संकाय में स्नातक एवं परास्नातक छात्रों को दीक्षान्त समारोह में स्वर्ण, रजत एंव कास्य पदक प्रदान किये जाने पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा विद्वत परिषद की बैठक दिनांक 28.2.2001 में प्रस्ताव संख्या 1326 में लिये गये निम्न निर्णय को अनुमोदित किया :

"विश्वविद्यालय की अन्य संकायों की भाँति कृषि अभियंत्रण संकाय में भी स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर छात्र / छात्राओं को स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक दीक्षान्त समारोह में प्रदत्त किये जायें।"

मद संख्या 10 : डा0 आर0 पी0 सिंह, पूर्व एम0डी0, यू0पी0 पोल्ट्री एवं लाइवस्टाक स्पेशिलिटीज लि0 लखनऊ के विरुद्ध की जॉच पर अग्रिम कार्यवाही करने के लिये निर्णय हेतु प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा निम्न निर्णय लिये :

1. डा0 आर0 पी0 सिंह, सेवानिवृत्त को शासन द्वारा प्रेषित जॉच रिर्पोट के अनुसार चार्जशीट दी जाये । शासन द्वारा प्रेषित जॉच आख्या साक्ष्य के रुप में लगाई जाये।
2. मुख्य कार्मिक अधिकारी तथा अर्थ नियंत्रक की कमेटी बनाई गयी जो डा0 आर0 पी0 सिंह, सेवानिवृत्त से प्राप्त उत्तर का परीक्षण कर अपनी रिर्पोट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।
3. प्रकरण विलम्ब से प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे कुलपति अपने स्तर पर परीक्षण कर लेंगें ।

मद संख्या 11 : डा0 (श्रीमती) सस्मिता बेहेरा, सहायक प्राध्यापक (वस्त्र एवं परिधान) गृह विज्ञान विभाग में कार्यरत का त्याग पत्र दिनांक 20.3.2001 से स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही को अनुमोदित करते हुये डा0 (श्रीमती) सस्मिता बेहेरा, का दिनांक 20.3.2001 से त्याग पत्र इस शर्त के साथ स्वीकृत किया कि डा0 बहेरा से उनको दिये गये एक माह का वेतन वसूल किया जाये।

मद संख्या 12 : डा0 अरविन्द कुमार सिंह, सह प्रशिक्षण / कनिष्ठ वैज्ञानिक (उद्यान) कृषि विज्ञान केन्द्र, भरारी, झॉसी में कार्यरत को एक वर्ष का धारणाधिकार सुरक्षित रखने सम्बन्धी प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा डा0 अरविन्द कुमार सिंह, सह प्रशिक्षण / कनिष्ठ वैज्ञानिक (उद्यान) को उनके मूल पद पर दिनांक 9.3.2001 से दिनांक 8.3.2002 तक एक वर्ष का धारणाधिकार इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि इस प्रकरण को दृष्टांत न बनाया जाये ।

मद संख्या 13 : कैरियर एडवान्समेन्ट स्कीम के अर्न्तगत अर्ह शिक्षकों / वैज्ञानिकों को प्रोन्नति प्रदान करने हेतु चयन समितियों की संस्तुति के बन्द लिफाफे खोलकर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल ने कैरियर एडवांसमेन्ट स्कीम के अर्न्तगत चयन समितियों के बन्द लिफाफों को खोलकर निम्नलिखित शिक्षकों को उनके सम्मुख उल्लिखित पदनाम दिये जाने का अनुमोदन किया :

क्रम संख्या	शिक्षक का नाम	विभाग	वर्तमान पद / वेतन मान	कैरियर एडवान्समेंन्ट स्कीम के अर्न्तगत स्वीकृत पदनाम / वेतनमान
1.	डा0 राम चन्द्र	कृषि अर्थशास्त्र एंव सांख्यकीय	सहायक प्राध्यापक 8000—13500	सह प्राध्यापक 12000—18300
2.	डा0 मधू बाजपेई	कृषि जीव रसायन विभाग	सहायक प्राध्यापक	सह प्राध्यापक
3.	डा0 रेखा दयाल	गृह विज्ञान	सहायक प्राध्यापक	सह प्राध्यापक
4.	डा0 निशी राय	गृह विज्ञान	सहायक प्राध्यापक	सह प्राध्यापक
5.	डा0 नीलिमा कुँवर	गृह विज्ञान	सहायक प्राध्यापक	सह प्राध्यापक
6.	डा0 एम0पी0शुक्ला	मृदा एवं कृषि रसायन विभाग	सहायक प्राध्यापक	सह प्राध्यापक
7.	डा0 एन0 बी0 सिंह	प्लॉट फिजियोलाजी	सहायक प्राध्यापक	सह प्राध्यापक
8.	डा0 लल्लू	प्लॉट फिजियोलाजी	सहायक प्राध्यापक	सह प्राध्यापक
9.	डा0 मुकेश श्रीवास्तव	प्लॉट पैथोलाजी	सहायक प्राध्यापक	सह प्राध्यापक
10.	डा0 (श्रीमती) ज्योती सिंह	प्लॉट पैथोलाजी	सहायक प्राध्यापक	सह प्राध्यापक
11.	डा0 राजेन्द्र कुमार	जेनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग	सहायक प्राध्यापक	सह प्राध्यापक
12.	डा0 (श्रीमती) नीरजा अग्रवाल	कीट विज्ञान विभाग	सहायक प्राध्यापक	सह प्राध्यापक
13.	डा0 राधेश्याम सिंह	कीट विज्ञान विभाग	सहायक प्राध्यापक	सह प्राध्यापक
14.	डा0 आर0 ए0 त्रिपाठी	कीट विज्ञान विभाग	सह प्राध्यापक 12000—18300	प्राध्यापक 16400—22400
15.	डा0 भारत सिंह	मृदा एवं कृषि रसायन विभाग	सह प्राध्यापक	प्राध्यापक
16.	डा0 डी0सी0 केम	सस्य विज्ञान विभाग	सह प्राध्यापक	प्राध्यापक
17.	डा0 फतेह सिंह	सस्य विज्ञान विभाग	सह प्राध्यापक	प्राध्यापक
18.	डा0 आर0एल0श्रीवास्तव	जेनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग	सह प्राध्यापक	प्राध्यापक
19.	डा0 के0पी0 सिंह	जेनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग	सह प्राध्यापक	प्राध्यापक
20.	डा0 प्रहलाद सिंह	जेनेटिक्स एण्ड प्लान्ट ब्रीडिंग	सह प्राध्यापक	प्राध्यापक

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि सस्य विज्ञान के दो वैज्ञानिक क्रमश : डा0 सन्तोष कुमार मिश्रा एवं डा0 जयदीप सिंह जो सहायक प्राध्यापक से सह प्राध्यापक में प्रोन्नति हेतु योग्य पाए गये परन्तु चयन समिति ने यह संस्तुति की है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से इन बिन्दु पर विचार विमर्श कर लिया जाय कि इनकी प्रोन्नति ट्रेंनिग आर्गनाइजर / कोआर्डिनेटर पर की जाय ।

मद संख्या 14 : आवास आवंटन नियमावली का अनुमोदन ।

प्रस्तुत आवास आवंटन नियमावली को निम्न संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया :

1. आवास आवंटन विश्वविद्यालय की वरिष्ठता सूची के आधार पर किया जायेगा ।
2. कानपुर, इटावा तथा मथुरा हेतु अलग–अलग वरिष्ठता सूची बनायी जायेगी ।
3. यदि किसी अधिकारी / कर्मचारी को प्रोन्नति अन्य संवर्ग में हो जाती है और अपने वर्तमान संवर्ग में कनिष्ठ होने के कारण आवास नहीं पाता है तो उसके पिछली संवर्ग की वरीयता के आधार पर भी आवंटन हेतु विचार किया जायेगा। परन्तु आवास कनिष्ठ संवर्ग का होगा ।

मद संख्या 15 : वित्तीय वर्ष 2001–2002 में प्रथम तीन माह के लेखानुदान व्यय के अनुमोदन का प्रस्ताव।

प्रबन्ध मण्डल द्वारा वर्ष 2001–2002 के प्रथम तीन माह हेतु रु0 666.36 लाख की धनराशि निम्न प्रकार स्वीकृत की गयी :–

	धनराशि रुपये लाख में
(अ) आयोजनेत्तर	रु0 622.92
(ब) आयोजनागत	रु0 21.75
(स) इन्जीनियरिंग कालेज, इटावा (आयोजनागत)	रु0 21.69
कुल योग	रु0 666.36

मद संख्या 16 : अधिष्ठाता गृह विज्ञान संकाय की नियुक्ति हेतु चयन समिति की संस्तुति के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने अधिष्ठाता, गृह विज्ञान संकाय की नियुक्ति हेतु चयन समिति की संस्तुति का बंद लिफाफा खोलकर डा0 (मिसेज) रैचल जार्ज को अधिष्ठाता, गृह विज्ञान संकाय के पद पर नियुक्ति हेतु, वेतनमान 16400–450–20900–500–22400 में तीन अग्रिम वेतन बृद्धि के साथ, पॉच वर्ष की अवधि या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, के लिये अनुमोदित किया ।

प्रबन्ध मण्डल ने उक्त पद पर प्रतिक्षासूची हेतु चयन समिति की संस्तुति का लिफाफा खोलकर डा0 (कु0) रीता सिंह रघुवंशी को प्रतीक्षासूची में रखे जाने का अनुमोदन प्रदान किया ।

मद संख्या 17: डा0 आर0 एन0 चटर्जी, सहायक आचार्य, पशु प्रजनन एवं सम्बर्द्धन विभाग, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा के पद से उनके अनुरोध पर दिनांक 7.5.2001 से त्यागपत्र स्वीकार किये जाने विषयक प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया तथा डा0 आर0 एन0 चटर्जी, सहायक आचार्य, पशु प्रजनन एवं सम्बर्द्धन विभाग, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन

महाविद्यालय, मथुरा के पद से दिनांक 7.5.2001 से त्याग पत्र स्वीकार किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया ।

मद संख्या 18: विश्वविद्यालय के शिक्षण/प्रशासनिक कार्यो के प्रभावी नियंत्रण हेतु विश्वविद्यालय में कार्यरत ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनकी नियुक्ति के प्राधिकार प्रबन्ध मण्डल में निहित है, के निलम्बन किये जाने, आरोप पत्र दिये जाने तथा जॉच आदि करायें जाने के अधिकार कुलपति प्रदत्त किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया और निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12(6) में कुलपति को विस्तृत अधिकार निहित हैं । किन्तु परिनियम के अध्याय 21–3 (8) के अधिनियम के अनुरुप व्यवस्था नहीं की गयी है । इस पर विधिक राय प्राप्त करने का निर्णय लिया गया तथा प्रकरण को पुनः विधिक राय के साथ प्रबन्ध मण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया ।

मद संख्या 19 : अष्टम दीक्षान्त समारोह में मानद उपाधि प्रदान करने हेतु परिचालन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव की पुष्टि।

प्रबन्ध मण्डल ने परिचालन द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

मद संख्या 20 : अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विचार ।

मद संख्या 20.1: विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा धारित पद के कार्य के साथ–साथ अतिरिक्त कार्य सम्पादित करने के लिये पारिश्रमिक स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर विश्वविद्यालय में अतिरिक्त कार्य सम्पादित करने वाले निम्न कर्मियों को उनके सम्मुख उल्लिखित पारिश्रमिक दिये जाने का अनुमोदन इस शर्त के साथ किया कि इस धनराशि को विश्वविद्यालय अपने श्रोतों से वहन करेगा तथा तभी तक देय होगा जब तक इन पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है ।

कमांक	नाम तथा धारित पदनाम	अतिरिक्त कार्य पदनाम जिसका कार्य सम्पादित कर रहे हैं ।	अनुमोदित पारिश्रमिक प्रतिमाह
1.	डा0 आर0एस0बिसेन विभागाध्यक्ष, कीट विज्ञान	कुल सचिव	रु0 400.00 प्रतिमाह
2.	डा0 डी0एन0 शर्मा प्राध्यापक, स्वायल सांइस	मुख्य कार्मिक अधिकारी	रु0 400.00 प्रतिमाह
3.	डा0 राम कृष्ण, प्राध्यापक, जेनेटिक्स एण्ड प्लांट ब्रीडिंग	निदेशक, सेवायोजन	रु0 400.00 प्रतिमाह

4.	डा0 आर0पी0सिंह, विभागाध्यक्ष जेनेटिक्स एण्ड प्लांट ब्रीडिंग	पुस्तकालयाध्यक्ष	रु0 400.00 प्रतिमाह
5.	डा0 यू0एन0सिंह, प्राध्यापक	भण्डार क्रय अधिकारी	रु0 250.00 प्रतिमाह
6.	डा0 सत्यवीर सिंह,सह् प्राध्यापक, कीट विज्ञान	प्रस्थापना अधिकारी	रु0 250.00 प्रतिमाह
7.	डा0 ए0एस0 भदौरिया, सह् प्राध्यापक, कीट विज्ञान	प्रभारी अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ	रु0 250.00 प्रतिमाह
8.	डा0 शिव बहादुर सिंह, सह् प्राध्यापक, पादप रोग	सम्पत्ति अधिकारी	रु0 250.00 प्रतिमाह

मद संख्या 20.2: श्री बी0 एल0 त्रिपाठी, श्री लालमणि एवं श्री पी0 के0 बिसारिया द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने श्री बी0एल0त्रिपाठी, श्री लालमणि एवं श्री पी0के0 बिसारिया के प्रत्यावेदनों पर विचार किया । उनके प्रत्यावेदनों को निरस्त करते हुये निर्णय लिया कि तीनों प्रत्यावेदक कुलपति के आदेश दिनांक 3.10.2000 के अनुसार कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा में शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करें ।

प्रबन्ध मण्डल ने यह भी निर्णय लिया कि श्री बाल चन्द्र मिश्र के द्वारा अवगत कराये गये पत्र दिनांक 18.12.2000, जो महामहिम कुलाधिपति को सम्बोधित है, के तथ्यों को कुलपति अपने स्तर से देख लें कि तथ्य अभिलेखों के अनुसार हैं अथवा नहीं । यदि नहीं है तो इसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय ।

मद संख्या 20.3: आर0टी0टी0सी0 (रिसर्च एवं ट्रेनिंग सेन्टर) में कार्यरत अतिरिक्त स्टाफ को कृषि. अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा स्थानान्तरित किये जाने पर विचार।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर आर0टी0टी0सी0 में कार्यरत अतिरिक्त स्टाफ को कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा स्थानान्तरित किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की ।

मद संख्या 20.4: तम्बाकू शोध प्रक्षेत्र सरॉयमीरा को जनपद कन्नौज मुख्यालय की स्थापना हेतु जिला प्रशासन को हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार किया और निर्णय लिया कि आलू प्रक्षेत्र गुरसहायगंज प्रक्षेत्र की शेष 22.70 एकड भूमि उद्यान विभाग पहले विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित करे तदोपरान्त फसल शोध केन्द्र, सरायमीरा कन्नौज की 28.60 एकड भूमि जनपद की स्थापना हेतु हस्तान्तरित की जाये । साथ ही यह भी निर्णय लिया गया

कि गुरसहायगंज प्रक्षेत्र पर एक गहरे नलकूप के लिये रु0 10.00 लाख व प्रयोगशाला की स्थापना हेतु रु0 15.00 लाख की मॉग भी राजस्व विभाग से स्थानान्तरण के पूर्व प्राप्त किया जाय ।

मद संख्या 20.5: श्री अखिलेश मिश्रा पुत्र श्री धमेश्वर प्रसाद मिश्र 27/452 डबलू ब्लाक जूही के दिनांक रहित प्रत्यावेदन पर विचार ।

प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लिया कि प्रकरण का कुलपति एवं श्री बालचन्द्र मिश्र की समिति परीक्षण कर निर्णय लेगी। समिति के निर्णय को कियान्वित करने हेतु प्रबन्ध मण्डल ने कुलपति को अधिकृत किया ।

प्रबन्ध मण्डल ने अन्त में निम्न निर्णय लिये :

1. प्रबन्ध मण्डल की प्रत्येक बैठक में शैक्षिक प्रगति, वित्तीय प्रगति तथा रिसर्च एवं एक्स्टेंशन में हुई प्रगति पर आख्या अवश्य प्रस्तुत की जाये ।

2. शासन ने पत्र दिनांक 24.4.1996 द्वारा विश्वविद्यालय में कुछ पद सृजित किये हैं जिसके सापेक्ष पॉच पदों को सरन्डर किया गया है । किंतु इन पॉच पदों पर अभी भी कर्मचारी कार्यरत हैं । इस पर स्थिति स्पष्ट की जाये ।

3. कुलपति के आदेश से दैनिक श्रमिकों का वेतन बैंक में खाते खोलकर उसके माध्यम से भुगतान कराया जा रहा है । जबसे बैंक खाते खुले हैं उससे पहले दैनिक श्रमिकों की संख्या लगभग 2200 थी। बैंक खाते खुलने के बाद यह संख्या घटकर लगभग 1550 ही रह गयी है । इस प्रकार लगभग 650 श्रमिकों को पूर्व में अधिक भुगतान किया जाता रहा है । इस प्रकरण की छान–बीन कर अर्थ नियंत्रक द्वारा एक रिर्पोट प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

7.6.01

(आर0 के0 दीक्षित)
अर्थ नियंत्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल